

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केंद्र- सराय कलां
पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
84/18

रजू दिनांक
10.04.2018

निर्णय दिनांक
12.06.2018

अनुवान

1. कृष्णसिंह
2. तेजसिंह पुत्रान श्रीराम जातियान जाट निवासीयान सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार- जयें भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादी

दावा—इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
अर्न्तगत धारा—88,89
राज0 काश्त0 अधि0 1955

—:पर्चा डिक्री:—

दिनांक:— 27.06.2018


वकील वादीगण श्री अशोक चौधरी प्रथम की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 12.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

आराजी ख0न0 199/0.25, 200/0.25, 388/0.36, 936/0.27, 1008/1047/0.68
है0 का 2/8 भाग व ख0न0 898/1039/0.11 है0 का 2/32 भाग व ख0न0 317/0.62
है0 का 2/16 भाग व 868/1.15 है0 2/64 भाग व ख0न0 876/0.10 है0 का 2/128


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

भाग व ख०न० 201/1038 रकबा 0.20, 708/0.08, 709/0.70, 710/0.44, 908/0.18, 909/0.18, 923/0.35, 935/0.17 है० का 2/16 भाग व ख०न० 918/0.09 है० का 2/64 व ख०न० 963/0.38, 964/0.29, 965/0.25 है० का 2/16 भाग व ख०न० 82/0.39 है० का 2/16 भाग व ख०न० 631/0.23 है० का 2/16 वाके ग्राम सराय कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में हाल राजस्व रिकार्ड पर वादी संख्या 1 का नाम दिलबाग पुत्र श्रीराम व वादी संख्या 2 का नाम भूदेव पुत्र श्रीराम के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात पर वादी संख्या 1 दिलबाग के बजाय कृष्णसिंह पुत्र श्रीराम व वादी संख्या 2 भूदेव की बजाय तेजसिंह पुत्र श्रीराम नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्डाधिकारी
(महेश चन्द्र सिंह) (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)